तत्काल

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक / 67 / परि.वि. / टीसी / 2020 नवा रायपुर दिनांक 16 / 04 / 2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
3. समस्त क्षेत्रीय / अति.क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी

विषय :– **नगरीय क्षेत्रों के बाहर या ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हित स्थानों पर स्थापित भोजनालय–ढाबा एवं ट्रक मरम्मत दुकानों को खोले जाने के संबंध में।**

––00––

विषयांतर्गत केन्द्रीय गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा राज्यों के मुख्य सचिव को संबोधित दिशा–निर्देश पत्र क्रमांक D No. 40-3/2020-DM-I(A) Date: 15th April, 2020 की प्रति संलग्न प्रेषित है। लेख है कि "कोरोना वायरस" (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में राज्य के भीतर आवश्यक एवं गैर–आवश्यक वस्तुओं के सुगम परिवहन एवं मालवाहक के चालक / परिचालक के भोजन आदि की उत्पन्न समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, भोजनालय–ढाबा एवं ट्रक हेतु मरम्मत दुकानों को खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः भारत सरकार, गृह मंत्रालय के उपरोक्त दिशा–निर्देश पत्र के निर्देश बिंदु 12(vii) जिसमें मालवाहक (ट्रक) की मरम्मत और ढाबा दुकानें निर्धारित न्यूनतम दूरी में खुलवाने हेतु आवश्यक पहल एवं निम्नानुसार कार्यवाही किया जाए–

2/ जिला / स्थानीय प्रशासन द्वारा यथासंभव नगरीय क्षेत्रों के बाहर या ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हांकित भोजनालय–ढाबा को खोलने की अनुमति दी जाए।

3/ चिन्हित भोजनालय–ढाबा में भोजन प्राप्त करने की केवल पार्सल आधारित सुविधा हों, अर्थात् Take-away होगा। भोजनालय–ढाबा में रूक कर अथवा बैठ कर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।

4/ भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन / स्थानीय प्रशासन के द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किये गये रोकथाम, क्वारंटाईन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू नहीं किये जाए।

5/ व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान COVID-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाए।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के बारे में समस्त मैदानी प्रवर्तन अमलें (पुलिस / परिवहन) को भी सूचित किया जाए

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग

निरंतर...2

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक/67–ए/परि.वि./टीसी/2020 नवां रायपुर, दिनांक 16/04/2020

प्रतिलिपि :–

1. Home Secretary, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi की ओर संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. शासन के समस्त विभागीय भारसाधक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर।
4. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़।
6. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़।
7. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता)/(यातायात) पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।
8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
9. समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
10. राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम, कार्यालस, जिला पंचायत परिसर, रायपुर ।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग

Scanned with CamScanner